न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

54 / 2020

प्रकरण संख्या

पूरणमल गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर निवासी पलाई तह. उनियारा जिला टोंक
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 31–12–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक को दिनांक 8–7–2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1.दिनांक 27.06.2020 को ग्राम पलाई में हटाये गये सम्पूर्ण अतिक्रमण के आदेश की प्रतिलिपि तथा पट्टाधारी पूरणमल गुर्जर के तारबन्दी व पत्थर हटाने के आदेश की प्रतिलिति उपलब्ध करवाई जावे।
2.ग्राम पंचायत पलाई द्वारा ग्राम पलाई में अतिक्रमियों के विरूद्ध पेश किये गये प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावे।
3.पूरणमल गुर्जर व रामनारायण गुर्जर निवासी पलाई द्वारा प्रस्तुत पट्टों पर की गई कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि एवं दिनांक 27.06.2020 को मौके पर हटाए गए सामानों की सूची उपलब्ध करवाई जावे।
4.सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र उनियारा में आवंटित भूखण्ड धारकों को किस आदेश के तहत कब्जा किया गया तथा किन किन आवंटी को बेकब्जा किया गया हैं सूची की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक [illegible] अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने उनके पत्र कमांक 1207 दिनांक 21–1[illegible]2020 [illegible] जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना [illegible] दिनांक 2.9.2020 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

भिजवाई जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है, जिसकी प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner